UPME010090282026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2561/2026

रिजवान पुत्र इदरीश, निवासी–फूलवाली गली, रशीद नगर, थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–670/2022
अं0धारा–3/5/25/27
आयुध अधिनियम
थाना–लिसाडी गेट, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से..... श्री राजकुमार गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

दिनांक–19.06.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **रिजवान पुत्र इदरीश** की ओर से मुकदमा अपराध सं0–670/2022 अं0धारा–3/5/25/27 आयुध अधिनियम, थाना–लिसाडी गेट, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. फर्द बरामदगी के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.10.2022 को प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह व अन्य सहपुलिस कर्मचारीगण द्वारा चार खंभा समर गार्डन रोड़ थाना लिसाड़ी गेट के क्षेत्र में अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जामा तलाशी पर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक कारतूस बरामद हुआ। उक्त बरामद तमंचे को अभियुक्त द्वारा मु0अ0सं0 668/2022 अंतर्गत धारा 302,504 भा0दं0सं0 थाना लिसाड़ी गेट, के अपराध में प्रयुक्त किया जाना बताया गया है। बरामद तमंचा व कारतूस को एक कपड़े में रखकर सील–सर्वे मोहर कर, नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर तैयार की गयी। माल–मुकदमा व अभियुक्त को थाना लाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। मु0अ0सं0 668/2022 अंतर्गत धारा 302,504 भा0दं0सं0 थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ में अभियुक्त की जमानत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.06.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त कथित अपराध सात वर्ष तक की सजा से प्रावधानित है। अभियुक्त दिनांक 31.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्व है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व एक तमंचा 315 बोर व एक कारतूस नाजायज बरामद होने का आरोप है तथा जिसको अभियोजन द्वारा मु0अ0सं0 668/2022 अंतर्गत धारा 302,504 भा0दं0सं0 थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ के अपराध की घटना में प्रयुक्त होना कहा गया है। अभियुक्त की मुख्य मु0अ0सं0 668/2022 अंतर्गत धारा 302,504 भा0दं0सं0 थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मि0बेल नंबर 10856/2026 रिजवान बनाम उ0प्र0राज्य में पारित आदेश दिनांकित 11.06.2026 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। चूँकि मुख्य अपराध में अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 31.10.2022 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्व है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई मत प्रकट किये एवं मुख्य अपराध में अभियुक्त की जमानत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकृत होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त **रिजवान** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रूपये 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुश्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित षर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायः–

1. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2. विवेचक द्वारा तलब किए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त साक्षियों को डराएगा–धमकाएगा नहीं और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।

4. विवेचक की अनुमति के बिना दौरान विवेचना जिले से बाहर नहीं जायेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
6. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 19.06.2026

(राकेश कुमार–पंचम)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6155

Pankaj Kumar (P.A.)